कार्यालय नियंत्रक, नाप-तौल, मध्यप्रदेश, भोपाल

Tel. 0755-2551017, 2551021 Email-cwmbho@mp.nic.in

क्र. 1598 /नातौ/अ-1(1)/EoDB/2020 भोपाल, दिनांक 25/07/2020

प्रति,

समस्त निरीक्षक,

नाप-तौल, मध्यप्रदेश

विषय :- सत्यापन एवं मुद्राकन सबंधी आवेदन ऑनलाईन प्राप्त करने विषयक।

संदर्भ :- कार्यालयीन पत्र क्र. 3897-98/नातौ/अ-1(1)/EoDB/2018 दिनांक 03.10.2018, पत्र क्र. 4720-21/नातौ/अ-1(1)/EoDB/2018 दिनांक 01.12.2018 एवं पत्र क्र. 1411-12/नातौ/अ-1(1)/EoDB/2020 दिनांक 10.07.2020

- - - - - 00 - - - - -

कृपया उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्रों का अवलोकन करें । नाप-तौल उपकरणो की मूलमुद्रांकन एवं पुन:सत्यापन संबंधी 12 सेवाऐं (सेवा क्र. 34.1 से 34.12 तक) mpedistrict.gov.in पोर्टल पर ऑनलाईन उपलब्ध हैं । उक्त सेवाओं के आवेदन लोकसेवा केन्द्र के माध्यम से या e-KYC (मोबाईल नंबर अथवा आधार नंबर) के माध्यम से घर बैठ कर कम्प्युटर पर उपयोक्ता स्वयं द्वारा अथवा सुधारक अनुज्ञप्तिधारी द्वारा भी e-KYC (मोबाईल नंबर अथवा आधार नंबर) के माध्यम किये जा सकते हैं । विभाग की वेबसाईट www.cwnm.nic.in पर Ease of doing Business अंतर्गत आवेदन प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेज, लोकसेवा गारंटी अधिनियम में अधिसूचित सेवाओ की सूची निराकरण हेतु समय-सीमा एवं अन्य जानकारी देखी जा सकती है ।

उक्त सेवाऐ ऑनलाईन प्रारंभ करने की प्रक्रिया अंतर्गत आपको नाप-तौल क्षेत्र की मेपिंग एवं डिजिटल हस्ताक्षर अपडेट कराने की कार्यवाही जिले के लोकसेवा प्रबंधन अधिकारी से संपर्क कर पूर्ण कराने हेतु बार-बार निर्देशित किया गया है । ईज ऑफ डूईंग बिजनेस अंतर्गत अनुशंसा पर अब की गई कार्यवाही का विवरण शासन को भेजा जाता रहा है। अब किये गये कार्यों के मूल्यांकन की कार्यवाही संबंधित नोडल विभाग द्वारा की जाना है ।

अत: निर्देशित किया जाता है कि दिनांक **01.08.2020** से सत्यापन एवं मुद्राकन संबंधी आवेदन ऑनलाईन ही प्राप्त किये जावे । **सत्यापन / पुन:सत्यापन के ऑफलाईन आवेदन स्वीकार नहीं किये जावे।** यदि कोई आवेदक ऑफलाईन आवेदन करता है तो उसको ऑनलाईन आवेदन प्रक्रिया से अवगत कराते हुए ऑनलाईन आवेदन करने हेतु कहा जावे । आपको निर्धारित समय-सीमा के अंदर आवेदन का निराकरण करना है । इसमें किसी प्रकार की समस्या / कठिनाई आने पर जिले मे स्थित लोकसेवा प्रबंधन कार्यालय एवं इस कार्यालय से संपर्क करें ।

दिनांक 31 जुलाई 2020 के बाद कार्यालय की सत्यापन प्रमाण-पत्र पुस्तिका से सत्यापन प्रमाण-पत्र जारी न किया जावे । ऑनलाईन जारी किये गये सत्यापन प्रमाण-पत्र की हार्डकापी (प्रिंट) का माहवार बंडल बनाकर रखा जावे । सत्यापन से प्राप्त आय का विवरण भी पंजी में माहवार संधारित किया जावे ।

निरंतर

यदि सत्यापन / पुनःसत्यापन की सेवा प्रदान करने में बिलंब होने के कारण आपके विरूद्ध किसी भी प्रकार की कार्यवाही होती है तो इसके लिये आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

नियंत्रक
नाप-तौल, म.प्र.
भोपाल

पृ.क्र. /नातौ/अ-1(1)/EoDB/2020 भोपाल, दिनांक 25/07/2020

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, मंत्रालय भोपाल की नोटशीट की टीप दिनांक 22.07.2020 के पालन में सूचनार्थ ।
2. समस्त उप / सहायक नियंत्रक, नाप-तौल मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु। आप अधिनस्थ निरीक्षकों से उक्तानुसार कार्यवाही कराया जाना सुनिश्चित करें ।

नियंत्रक
नाप-तौल, म.प्र.
भोपाल